राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा

कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (18) आकाशि/अनु/07/1087 दिनांक 6/8/10

आदेश

— निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2010–11 हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र में सशर्त अभिवृद्धि निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है–

क्र.सं.	पत्रा. सं.	महाविद्यालय का नाम व पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	विषय / संकाय
1	18	न्यू लुक गर्ल्स कालेज, लोधा कैम्पस, बांसवाड़ा	मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर	पूर्व आवंटित संकाय एवं विषय

1. संस्था सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी.सी.आई. से मान्यता व विश्वविद्यालय से सम्बद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी ।
2. संस्था को स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु मापदण्ड पूर्ण कर अगले सत्र से पहले निर्धारित अवधि में अनिवार्य रूप से विभाग को आवेदन प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा मापदण्डों के अभाव में संस्था के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जावेगी।
3. स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु मापदण्ड :–
   (i) यूजीसी योग्यताधारी स्थायी स्टाफ पर सम्बन्धित विश्वविद्यालय से अनुमोदन
   (ii) मानदण्डानुसार संस्था के नाम भूमि व भवन
   (iii) स्टाफ का बैंक द्वारा वेतन का भुगतान
   (iv) समस्त स्टाफ की पी.एफ. कटौती
   (v) समुचित छात्र सुविधाओं का विकास
4. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी ।
5. संस्था राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा दिये गये सभी आदेशों/निर्देशों की पालना करेगी ।
6. संस्था द्वारा सूचना का अधिकार के अन्तर्गत आवेदक को आवश्यक रूप से सूचना उपलब्ध करानी होगी।
7. संस्था प्राचार्य एवं व्याख्याताओं की नियुक्ति पर सम्बद्धक विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्रस्तुत करेगी ।
8. संस्था आयुक्तालय से सांख्यिकी पुस्तिका प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयावधि में जमा करायेगी ।
9. मापदण्डों की अधिक जानकारी हेतु विभाग की वेबसाइट www.collegeeducation.rajasthan.gov.in का अवलोकन करें।

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है --

1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
4. जिला कलेक्टर, बांसवाड़ा।
5. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
6. कुल सचिव, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर ।
7. सचिव, सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय
8. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
9. रक्षित पत्रावली ।

सचिव
प्रबन्ध समिति
न्यू लुक गर्ल्स कॉलेज
बांसवाड़ा (राज.)

संयुक्त–निदेशक (अनुदान)

SECRETARY
New Look School Society
Reg. No.-336/79-80

PRINCIPAL
New Look Girl's PG College
Lodha, Banswara (Raj.)

154